


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/वित्त (नियम) पार्ट -1/2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसिरण में राजस्थान शिक्षा सेवा में निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याताआ) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम -19 के तहत उनके ताम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति), के वेतन बेण्ड (9,300-34,800) / (15,600-39,100) कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कालम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम व पद स्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री /श्रीमती रा.उ.मा.वि.	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	श्री अजयपाल सिंह बी.ई.ई.ओ. बानसूर (अलवर)	02.07.56	समाजशास्त्र	01.07.86	डीपीसी	20 वर्ष	4800	01.07.2006

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनके वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्-द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे। राज्यधीन से पूर्व का ऐरियर अनुदानित संस्था से देय होगा।


(बी.एल. स्वर्णकार)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक - 05/7/2016

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक (माध्य) शिक्षा
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्राध्यापक
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त(नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति) वेतन बेण्ड (9300-34800)/(15600-39100) कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	निपुण सक्सैना, टोंक	04.04.70	भौतिक	04.01.95	पीएससी	20 वर्ष	6000	04.01.15
2	महेन्द्र सिंह, गोयनका, चूरु	30.10.69	भौतिक	29.12.94	पीएससी	20 वर्ष	6000	29.12.14
3	राकेश कुमार तिवाड़ी, बांदीकुई (दौसा)	22.02.65	भौतिक	13.07.91	डीपीसी	20 वर्ष	4800	13.07.11
4	ताराचन्द गुप्ता, शाहपुरा (जयपुर)	05.03.53	भौतिक	01.07.78	डीपीसी	30 वर्ष	5400	01.07.08

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 05-07-2016

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/एसीपी/भौगक/2015

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
3. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक

4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

5. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के नियमित अधिकारियों (व्याख्याता) को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आष्वसित केरियर प्रगति), कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कालम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम व्याख्याता मय विषय व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री /श्रीमति (रा.उ.मा.वि.)	जन्म तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन बण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	औम प्रकाश चुलेट व्या० वाणिज्य राडावास-जयपुर	13.11.55	डीपीसी	01.07.79 व०अ०	II III	9300-34800 9300-34800	4800 5400	01.09.2006 01.7.2009
2	रमन लाल परमार व्या० इतिहास गांधीनगर-जयपुर	14.08.67	सीधी भर्ती	24.01.95	II	15600-39100	6000	24.01.2015
3	शिवपाल सिंह व्या० इतिहास हरसावा बडा - सीकर	03.02.59	डीपीसी	09.10.85 व०अ०	III	15600-39100	6000	09.10.2015
4	कैलाश चन्द गुप्ता व्या० इतिहास कालवाडा-जयपुर	15.09.67	आरवी आरईएस	01.07.95	II	15600-39100	6000	01.07.2015

- पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।
- आरवीआरईएस कार्मिक को एरियर का भुगतान राज्य सेवा में कार्यग्रहण तिथि से देय होगा।


(बी.एल.स्वर्णकार)


आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-षिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/एसीपी/16

दिनांक-04/7/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

- 07 संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
- 08 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
- 09 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 10 संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि,
- 11 संबंधित व्याख्याता
- 12 रक्षित पत्रावली


संयुक्त
निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक
शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर